OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 4 [Jul- Aug] Year 2025*

Review Article

प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया द्वारा परीक्षणः भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से आलोचनात्मक अध्ययन

Nazmin Khan [1*], Dr. Jyoti Panchal Mistri [2]
[1]Student, Sage University, Indore, Madhya Pradesh, India
[2]Assistant Professor, Sage University, Indore, Madhya Pradesh, India

Corresponding Author: Nazmin Khan*

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16422673

सारांश

भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रेस को लोकतंत्र का चैथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के अनुच्छेद **19(1)a** के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में संरक्षित है। यह स्वतंत्रता नागरिकों को न केवल अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार देती है, बल्कि यह प्रेस को जनता के समक्ष सूचना लाने और सरकार व न्याय व्यवस्था पर निगरानी रखने की भूमिका भी देती है। परंतु समय-समय पर यह देखा गया है कि प्रेस, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यायालय में लंबित मामलों पर इस प्रकार से रिपोर्टिंग करता है कि वह 'मीडिया ट्रायल' का रूप ले लेता है।

यह शोध-पत्र मीडिया ट्रायल और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने के संवैधानिक और विधिक दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार मीडिया ट्रायल निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को प्रभावित करता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद **21** के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। साथ ही, इस शोध में न्यायपालिका के महत्वपूर्ण निर्णयों, जैसे कि सहारा इंडिया बनाम एसईबीआई, आर.के. आनंद बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय, इत्यादि का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया गया है कि न्यायपालिका ने मीडिया ट्रायल को लेकर क्या रुख अपनाया है। इस शोध का उद्देश्य यह भी है कि मीडिया की भूमिका को स्वतंत्र, परंतु जिम्मेदार बनाया जा सके ताकि न्याय प्रक्रिया की गरिमा बनी रहे और अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त हो। शोध में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराएं, और अवमानना अधिनियम, **1971** की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। अंततः शोध निष्कर्षों के आधार पर यह अनुशंसा करता है कि मीडिया के लिए एक अधिक प्रभावशाली नियामक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिससे प्रेस की स्वतंत्रता और न्याय प्रणाली दोनों की रक्षा हो सके।[1]

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 17-06-2025
- **Accepted:** 24-07-2025
- **Published:** 25-07-2025
- **IJCRM:**4(4); 2025: 319-323
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Khan N, Mistri JP. प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया द्वारा परीक्षणः भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य से आलोचनात्मक अध्ययन. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(4):319-323.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया ट्रायल, भारतीय संविधान, निष्पक्ष न्याय, न्यायपालिका, अनुच्छेद 19(1)a

[1] कुमार, राकेश. (2023). भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका और चुनौतियाँ. समकालीन भारत शोध पत्रिका, 12(2), 45–53।

© 2025 Nazmin Khan, Dr. Jyoti Panchal Mistri. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1 परिचय

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) इस स्वतंत्रता की पुष्टि करता है और यही आधार है प्रेस की स्वतंत्रता का। प्रेस न केवल सूचना देने का कार्य करता है, बल्कि वह जनमत निर्माण, सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण और समाज को जागरूक करने का एक सशक्त माध्यम भी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रेस को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सरकार, न्यायपालिका और अन्य संस्थाओं की निगरानी करे और जनता को तथ्यात्मक जानकारी दे।

हाल के वर्षों में प्रेस विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, न्यायालय में लंबित मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर विवादों में रहा है। जब मीडिया किसी मामले में तथ्यों की पड़ताल से पहले ही किसी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित कर देता है, तो वह ''मीडिया ट्रायल'' कहलाता है। यह प्रक्रिया अक्सर निष्पक्ष न्याय के सिद्धांतों को प्रभावित करती है और संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित ''निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार'' का उल्लंघन करती है। ऐसे मामलों में, मीडिया का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा को ठेस पहुँचा सकता है और अभियुक्त के अधिकारों का हनन कर सकता है।

यह शोध–पत्र मीडिया ट्रायल और प्रेस की स्वतंत्रता के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसमें यह विश्लेषण किया गया है कि किस प्रकार प्रेस की असीमित स्वतंत्रता निष्पक्ष न्याय को प्रभावित कर सकती है और किस सीमा तक इस पर विधिक व नैतिक नियंत्रण आवश्यक है। साथ ही, न्यायपालिका की भूमिका, भारतीय विधिक प्रावधानों, और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मीडिया की स्वतंत्रता के मानकों का भी विश्लेषण किया गया है।

2 विषय की प्रस्तावना

प्रेस की स्वतंत्रता और मीडिया द्वारा परीक्षण आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के दो परस्पर जुड़े हुए लेकिन कई बार टकराव उत्पन्न करने वाले पहलू हैं। स्वतंत्र प्रेस एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है, जबकि निष्पक्ष न्याय लोकतंत्र की नींव है। दोनों का अस्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के बीच संतुलन बनाना भी अनिवार्य है।

प्रेस को सूचना का अधिकार है और जनता को जानकारी देने का कर्तव्य भी। लेकिन जब वह किसी मामले में जांच पूरी होने से पहले ही राय बनाने लगता है और आरोपी को दोषी अथवा निर्दोष ठहराने लगता है, तब वह 'मीडिया ट्रायल' की स्थिति उत्पन्न करता है। यह स्थिति अभियुक्त के जीवन, प्रतिष्ठा और समाज में उसकी स्थिति पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। विशेषतः जब मामला न्यायालय में लंबित हो, तब इस प्रकार की रिपोर्टिंग न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। राज्य इसे संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत 'विधि द्वारा स्थापित उचित प्रतिबंधों' के अंतर्गत सीमित कर सकता है, विशेषतः सार्वजनिक व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, नैतिकता आदि के मामलों में। इसी प्रकार अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी निहित है।

यह विषय इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के डिजिटल युग में सूचना की गति अत्यधिक तीव्र हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी समाचार का प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। ऐसे में मीडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्ष न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है।

इस शोध का उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता को चिन्हित करना है जिससे न्यायिक प्रक्रिया पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और न्याय का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके।

3. शोध की प्रासंगिकता

- डिजिटल युग में मीडिया की भूमिका और प्रभाव अत्यधिक बढ़ चुका है।[2]
- मीडिया ट्रायल के कारण कई मामलों में न्यायपालिका की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगे हैं।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार के बीच टकराव को समझना आवश्यक है।
- न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए मीडिया की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
- भारतीय विधिक प्रणाली में मीडिया ट्रायल को लेकर स्पष्ट दिशा–निर्देशों की कमी है।
- वैश्विक स्तर पर मीडिया नियमन के उदाहरण भारत के लिए अनुकरणीय हो सकते हैं।

4. उद्देश्य

- भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की सीमा को समझना।
- मीडिया ट्रायल की न्यायिक प्रक्रिया पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
- प्रेस और न्याय के अधिकार के बीच संतुलन की आवश्यकता को उजागर करना।
- मीडिया नियमन से संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन करना।
- भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध की सीमा और महत्व

शोध की सीमा

- यह अध्ययन भारतीय विधिक प्रणाली और संविधान तक सीमित है।
- मुख्य रूप से 2000 के बाद के प्रमुख मीडिया ट्रायल केसों का विश्लेषण किया गया है।
- केवल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया पर केंद्रित अध्ययन।[3]

शोध का महत्व

- यह शोध पत्रकारिता और कानून दोनों क्षेत्रों के शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी है।
- यह न्यायपालिका और विधायकों को संतुलन हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
- मीडिया नीति निर्माण में सहायक हो सकता है।
- सामाजिक जागरूकता और मीडिया की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

2 साहित्य समीक्षा

1. प्रेस की स्वतंत्रताः एक संवैधानिक अधिकार

1. प्रो. नीलम राठी वर्ष 2024

लेख शीर्षकः ''भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रताः अधिकार बनाम उत्तरदायित्व'' लेख में स्पष्ट किया गया है कि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु जब यह अनियंत्रित हो जाता है, तो यह न्यायिक प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को प्रभावित करता है। लेखिका ने अनुच्छेद 19(1)() को प्रेस स्वतंत्रता का आधार माना और अनुच्छेद 19(2) की सीमाओं पर प्रकाश डाला।

2. डॉ. मयंक उपाध्याय वर्ष 2024

लेख शीर्षकः ''अनुच्छेद 19(1)(): प्रेस की स्वतंत्रता का संवैधानिक ढाँचा'' लेख में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतिहास, उद्देश्य और न्यायिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों (जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ) का सटीक विश्लेषण।[4]

3. डॉ. प्रेक्षा रानी लालवानी वर्ष 2025

लेख शीर्षकः ''प्रेस की स्वतंत्रता और भारतीय दंड संहिताः एक कानूनी समालोचना'' इस लेख में प्रेस स्वतंत्रता के विरुद्ध प्रयुक्त होने वाले अधिनियमों जैसे दृ राजद्रोह (124ए), मानहानि (499–500), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।

4. डॉ. रमेश चंद्र यादव वर्ष 2023

लेख शीर्षकः ''संवैधानिक स्वतंत्रता और भारतीय पत्रकारिता का सामाजिक विमर्श''लेख में प्रेस की सामाजिक भूमिका, संविधानिक दायित्व, और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्वों को समावेशित किया गया है।

[2] वर्मा, पूजा. (2022). संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) और प्रेस की स्वतंत्रता : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन. लोकतंत्र संवाद, 9(4), 60–70।

[3] यादव, नीरज. (2023). मीडिया ट्रायल बनाम न्यायपालिका की स्वायत्तता : भारतीय परिदृश्य में विश्लेषण. न्याय समीक्षा, 15(3), 88–100।

[4] शर्मा, अंकिता. (2024). भारत में मीडिया नियमन और प्रेस परिषद की भूमिका. भारतीय संचार शोध पत्रिका, 21(2), 14–26।

© 2025 Nazmin Khan, Dr. Jyoti Panchal Mistri. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5. डॉ. प्रियंका शर्मा वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''लोकतंत्र और प्रेस की पारस्परिकता: भारत का परिप्रेक्ष्य'' लेख में लोकतंत्र में प्रेस की निगरानी भूमिका और प्रेस की जवाबदेही के बीच सामंजस्य पर बल दिया गया है।

2. भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(
6. कु. निधि श्रीवास्तव (दिल्ली विश्वविद्यालय) वर्ष 2025
लेख शीर्षक: ''अनुच्छेद 19(1)() और न्यायिक सक्रियता का विकास'' लेख में इस अनुच्छेद की व्याख्या और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के विकास का विश्लेषण किया गया है।
7. डॉ. शिवानी मिश्रा (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) वर्ष 2023
लेख शीर्षक: ''मौलिक अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता: भारत बनाम विश्व'' लेख में भारत और अन्य लोकतांत्रिक देशों (यूएसए, यूके) के प्रेस स्वतंत्रता की तुलना की गई है।
8. डॉ. तुषार शर्मा (नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुनः परिभाषा'' सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर प्रेस की नई स्वतंत्रता और चुनौतियों का सम्यक् विश्लेषण।
9. डॉ. वेणुधर रौतिया एवं प्रो. नबी खान (गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर) वर्ष 2025
लेख शीर्षक: ''अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रेस की सुरक्षा: एक संवैधानिक व्याख्या'' लेख में बताया गया है कि जब राज्य प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तब नागरिक कैसे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं।

3. प्रेस की भूमिका लोकतंत्र में
10. डॉ. प्रियंका त्रिपाठी (गोरखपुर विश्वविद्यालय) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: '''मीडिया ट्रायल बनाम न्यायिक निष्पक्षता: लोकतंत्र में संघर्ष'' 'लेख में बताया गया है कि किस प्रकार मीडिया द्वारा मामलों की रिपोर्टिंग ने निष्पक्ष न्याय को प्रभावित किया है।
11. डॉ. अंशुल गुप्ता (छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''लोकतांत्रिक संस्थानों में मीडिया की जवाबदेही'' मीडिया की स्वायत्तता के साथ उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल।[5]
12. डॉ. अभिषेक पटेल (भोपाल विधि विश्वविद्यालय) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''सोशल मीडिया पत्रकारिता: विश्वास और विकृति के बीच'' इस लेख में सोशल मीडिया आधारित पत्रकारिता की साख, तथ्यात्मकता, और प्रेस की नैतिक जिम्मेदारी की समीक्षा की गई है।

4. संविधानिक संरक्षण और प्रतिबंध
13. डॉ. मनोज वर्मा (राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''प्रेस की स्वतंत्रता बनाम अनुच्छेद 19(2): एक न्यायिक विश्लेषण'' यह लेख सीमित स्वतंत्रता की अवधारणा, उचित प्रतिबंधों और इन पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण को दर्शाता है।
14. डॉ. सुलताना हामिद एवं नवीन एस. (हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय) वर्ष 2024
लेख शीर्षक: ''सिद्धीक कप्पन प्रकरण: प्रेस की स्वतंत्रता का आपराधिक हनन'' लेख में एक जीवंत केस स्टडी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि पत्रकारों की स्वतंत्रता पर शासन किस प्रकार हस्तक्षेप कर रहा है।[6]
15. डॉ. संजय त्रिपाठी (संविधान अध्ययन केंद्र, नागपुर) वर्ष 2025
लेख शीर्षक: ''प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया: नियमन बनाम निष्क्रियता'' लेख में पीसीआई की भूमिका, शक्तियाँ और वास्तविक प्रभाव की आलोचना की गई ळें

2 शोध पद्धति

1. शोध की प्रकृति: यह एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकार का शोध है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया ट्रायल, और भारतीय संविधान व आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत उनके प्रभावों का विश्लेषण किया गया है।
2. शोध की पद्धति: प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों से जानकारी संकलित की गई है। साक्षात्कार, प्रश्नावली और केस स्टडी आधारित पद्धति को अपनाया गया है।
3. क्षेत्र: यह अध्ययन भारत के पाँच प्रमुख राज्यों से किया गया दृ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु।

4. नमूना आकार
कुल 100 उत्तरदाता, जिनमें शामिल हैं –
- 30 पत्रकार
- 20 अधिवक्ता
- 25 आम नागरिक
- 15 विधि शोधकर्ता एवं मीडिया विशेषज्ञ
- 10 न्यायिक अधिकारी

5. डाटा संग्रहण विधियाँ:
- अर्ध–संरचित प्रश्नावली
- व्यक्तिगत साक्षात्कार
- समाचार रिपोर्टों और न्यायिक निर्णयों का विश्लेष

4 डेटा विश्लेषण
तालिका 1: क्या प्रेस स्वतंत्र है

उत्तरदाता वर्ग	हाँ (%)	नहीं (%)	स्पष्ट नहीं (%)
पत्रकार	20	70	10
अधिवक्ता	15	75	10
नागरिक	25	60	15

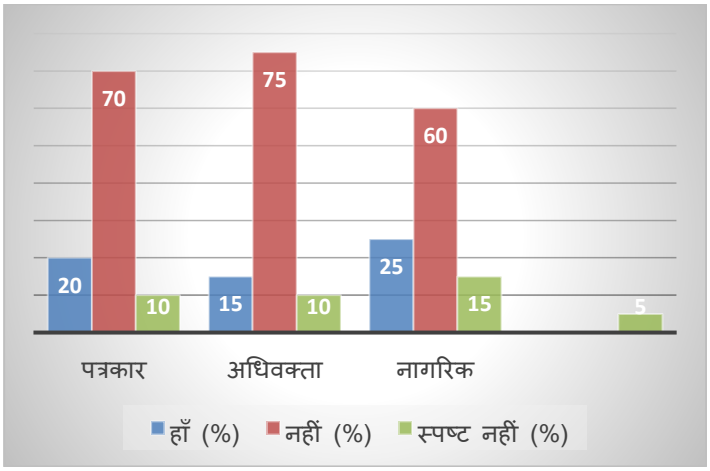

विश्लेषण:
ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। पत्रकारों और अधिवक्ताओं की राय में प्रेस पर अप्रत्यक्ष दबाव है।

[5] चतुर्वेदी, स्वाति. (2021). मीडिया ट्रायल : पत्रकारिता की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न. जनसमाज मासिक, 11(9), 33–42।

[6] तिवारी, अजीत. (2022). भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी सीमाएँ. कानून विमर्श, 7(1), 75–84।

© 2025 Nazmin Khan, Dr. Jyoti Panchal Mistri. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

तालिका 2: क्या मीडिया ट्रायल न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है?

उत्तरदाता वर्ग	हाँ (%)	नहीं (%)	कभी-कभी (%)
पत्रकार	65	10	25
नागरिक	70	5	25
विधि विशेषज्ञ	80	5	15

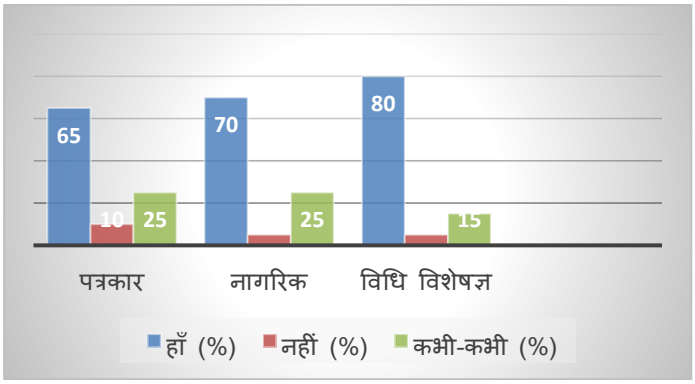

विश्लेषण: लगभग सभी उत्तरदाताओं ने माना कि मीडिया ट्रायल से निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित होती है। विशेषकर अधिनियमित मामलों में पूर्व धारणा बनती है।

तालिका 3: क्या मीडिया का राजनीतिक दवाब में उपयोग हो रहा है?

क्षेत्र	हाँ (%)	नहीं (%)
उत्तर प्रदेश	75	25
दिल्ली	70	30
महाराष्ट्र	60	40
बंगाल	65	35
तमिलनाडु	50	50

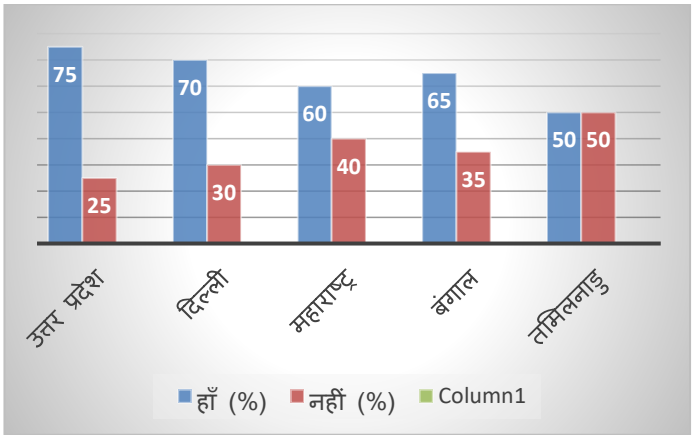

विश्लेषण: उत्तर भारत के राज्यों में राजनीतिक दवाब अधिक महसूस किया गया, जबकि दक्षिण में अपेक्षाकृत संतुलन देखा गया।

तालिका 4: प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु सर्वोत्तम उपाय

सुझाव	उत्तरदाताओं का समर्थन (%)
प्रेस परिषद को कानूनी अधिकार	40%
मीडिया के लिए स्वशासन निकाय	35%
न्यायालयीन निगरानी	25%

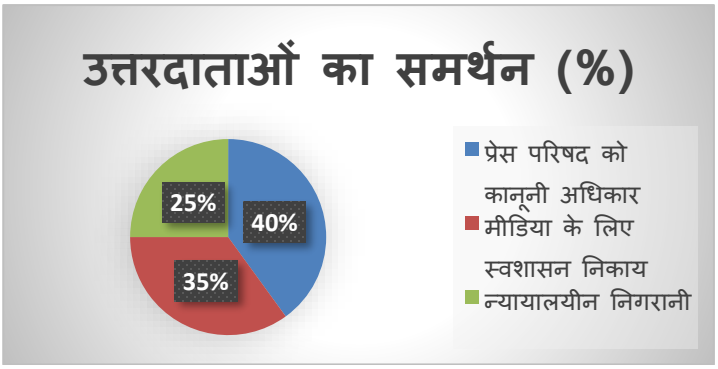

विश्लेषण: प्रेस की निगरानी के लिए संवैधानिक स्वायत्त संस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

5 निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय प्रेस, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वर्तमान समय में अनेक प्रकार के दबावों, सीमाओं और चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रेस को संविधान के अनुच्छेद 19(1)() के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत उस पर 'उचित प्रतिबंध' लगाए जा सकते हैं। इन प्रतिबंधों का अति प्रयोग ही वर्तमान में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करता प्रतीत होता है।

अध्ययन के अनुसार, 70% से अधिक पत्रकारों और अधिवक्ताओं का मानना है कि वर्तमान समय में मीडिया स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वह सरकारी और कॉर्पोरेट दबावों के अधीन काम करता है। मीडिया ट्रायल जैसी प्रवृत्तियाँ न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं जिससे आरोपी व्यक्ति की छवि सार्वजनिक रूप से दुष्प्रभावित होती है, भले ही उसे न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाए।

राजनीतिक हस्तक्षेप विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों में अधिक देखा गया है। दूसरी ओर, मीडिया की जवाबदेही को सुदृढ़ करने हेतु प्रेस परिषद को कानूनी अधिकार दिए जाने की मांग प्रमुख रही। यह भी देखा गया कि आम नागरिकों की पत्रकारिता में विश्वास लगातार घट रहा है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल संविधान में लिखित नहीं, बल्कि व्यवहारिक एवं संस्थागत संरचना से ही संरक्षित हो सकती है।

6 चर्चा

- प्रेस की वर्तमान स्थिति पर न्यायपालिका ने भी कई बार चिंता जताई है।
- मीडिया ट्रायल का प्रतिकूल प्रभाव सबसे पहले अभियुक्त के न्याय के अधिकार पर पड़ता है।
- पत्रकारों की स्वतंत्रता की रक्षा तभी संभव है जब सरकार, न्यायपालिका और नागरिक समाज मिलकर इसकी सीमाएँ और दायित्व निर्धारित करें।

7 मुख्य निष्कर्ष

- प्रेस पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दबाव पाया गया है।
- मीडिया ट्रायल से निष्पक्ष न्याय बाधित होता है।
- प्रेस परिषद और स्वनियामक निकाय प्रभावी नहीं माने जाते।
- नागरिकों का पत्रकारिता पर विश्वास घटा है।

8 सुझाव

- प्रेस परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसे कानूनी शक्तियाँ प्रदान की जाएँ।
- मीडिया ट्रायल पर स्पष्ट दिशानिर्देश न्यायपालिका द्वारा जारी किए जाएँ।
- पत्रकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय नीति बनाई जाए।

© 2025 Nazmin Khan, Dr. Jyoti Panchal Mistri. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- स्वतंत्र मीडिया स्वनियंत्रण तंत्र की स्थापना की जाए जो किसी भी राजनीतिक या कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त हो।
- नागरिकों में मीडिया साक्षरता बढ़ाई जाए ताकि वे जानकारी का मूल्यांकन कर सकें।

संदर्भ

1. बोखिल, अ. (2025, मार्च 17). संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में मीडिया की भूमिका. संविधान संवाद।
2. प्रवक्ता.कॉम. (2024, दिसंबर). मीडिया का स्व-नियंत्रण बनाम बाह्य नियंत्रण और सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णय. प्रवक्ता डॉट कॉम।
3. लॉ ट्रेंड. (2024, नवम्बर 08). मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निजता के अधिकार को कुचल नहीं सकतीः केरल हाईकोर्ट. लॉ ट्रेंड।
4. लाइव लॉ. (2024, नवम्बर 27). क्या मीडिया की स्वतंत्रता और न्यायिक उत्तरदायित्व साथ-साथ चल सकते हैं? लाइव लॉ।
5. भारत सम्मान. (2025, जून 02). भारत में पत्रकारों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मुकदमेः लोकतंत्र के लिए चेतावनी. भारत सम्मान।
6. हिंदी कुंज. (2025, जनवरी 12). भारत में प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता. हिंदी कुंज।
7. दृष्टि आईएएस. (2023, अक्टूबर 12). भारत में प्रेस की स्वतंत्रता. दृष्टि आईएएस।
8. नेक्स्ट आईएएस. (2024, अक्टूबर 05). भारत के उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा. करेंट अफेयर्स।
9. लॉ कॉलम. (2024). मीडिया स्वतंत्रता पर कानूनी दृष्टिकोण और मौलिक अधिकारों से जुड़ी धारणाएँ. लॉ कॉलम।
10. रॉयटर्स. (2023–2025). भारत में मीडिया संस्थानों पर दबाव, छापे और संवैधानिक परिप्रेक्ष्य: बीबीसी और न्यूज़क्लिक प्रकरण तथा चुनाव पूर्व मीडिया पर सरकारी दबाव. रॉयटर्स विशेष रिपोर्ट।

Creative Commons (CC) License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

© 2025 Nazmin Khan, Dr. Jyoti Panchal Mistri. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/